सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.) छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0,रायपुर
दूरभाष क्र. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 13/2016 दिनांक 14.10.2016

CE (EITC)
Receipt No. 5378
Date 18 NOV 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section

श्री नंदकुमार टोण्डे
अधिवक्ता
प्रजापिता ब्रम्हकुमारी के पीछे
उस्लापुर, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

/ अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया– रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 09.11.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री नंदकुमार टोण्डे की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 13/2016 दिनांक 14.10.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी श्री नंदकुमार टोण्डे का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनके द्वारा पूर्व आवेदन दिनांक 28.06.2016 के माध्यम से निम्न बिन्दुओं में जानकारी चाही गई थी –

(1) दिनांक 27.02.2016 को Board of Director की मिटिंग में Accounts Officer/Assistant Manager(Finance) के सीधी भर्ती के लिये शिक्षा योग्यता (Educational Qualification) MBA(Finance)/CWA/CA के स्थान पर की योग्यता रखी गयी है क्या ?

(2) क्या विभागीय भर्ती परीक्षा में भी शैक्षणिक योग्यता CA संशोधित की गई है, तो स्पष्ट करें व आदेश की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त जानकारी आज दिनांक तक प्राप्त न होने के कारणवश मेरे द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत है, जिसे स्वीकार कर चाही गई बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त दर्ज प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./61–62/दिनांक 02.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक 09.11.2016 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री नंदकुमार टोण्डे को भी उनके द्वारा दी गई उनके पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। साथ ही अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दिनांक

05.11.2016 को समय लगभग अपरान्ह 4:55 बजे नियत सुनवाई तिथि के संबंध में सूचना दी गई। उक्त श्रवण तिथि को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो उपस्थित एवं अपीलार्थी श्री नंद कुमार टोण्डे अनुपस्थित रहे।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 09.11.2016 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री नंदकुमार टोण्डे द्वारा अपने आवेदन दिनांक 28.06.2016 के माध्यम से निम्नानुसार जानकारी चाही गई है:–

(1) दिनांक 27.02.2016 को Board of Director की मिटिंग में Accounts Officer/Assistant Manager(Finance) के सीधी भर्ती के लिये शिक्षा योग्यता (Educational Qualification) MBA(Finance)/CWA/CA के स्थान पर की योग्यता रखी गयी है क्या ?

(2) क्या विभागीय भर्ती परीक्षा में भी शैक्षणिक योग्यता CA संशोधित की गई है, तो स्पष्ट करें व आदेश की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पंजीयन शुल्क रूपये 10/– मात्र का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा किया गया जो "RAO (CAU), CSPHCL, RAIPUR" के नाम से देय होने के कारण नियमानुसार स्वीकार किया जाना संभव नही था।

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 06 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन पंजीयन शुल्क हेतु रूपये 10/–मात्र का भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी यथा **सहायक प्रबंधक, छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित रायपुर (Assistant Manager, CSPHCL, Raipur)** के नाम से देय हो किया जाना है, जिसकी जानकारी विद्युत कंपनी के वेबसाइट **www.cspc.co.in** पर होल्डिंग कंपनी के साइट में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैनुअल क्रमांक 03 पर उपलब्ध है।

इसी अनुक्रम में लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/2/2007–आई.आर. के पैरा क्रमांक 03 के अनुसार **"सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनिमयन) संशोधन नियमावली, 2006 द्वारा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनिमयन) नियमावली, 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु भुगतान का अनुमोदित तरीका, नकद भुगतान अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भुगतान करना है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क स्वीकार न करना अथवा इस बात पर बल देना कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम से आहरित होना चाहिए, इस नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नही है।"** (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त परिस्थितिवश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2079 दिनांक 04.07.2016 के माध्यम से आवेदक श्री टोण्डे को उनका आवेदन एवं संलग्नित भारतीय पोस्टल ऑर्डर रूपये 10/–मात्र सहित मूलतः उनके द्वारा दिये गये पते पर वापस करते हुए अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी हेतु आवेदन पत्र सहित निर्धारित पंजीयन शुल्क रूपये 10/–मात्र का भुगतान **उपमहाप्रबंधक (मा.सं.) –दो, छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,रायपुर कार्यालय में नगद (नगद से आशय कार्यालय में जमा की गई राशि की पावती रसीद)** अथवा **नानज्यूडीशियल स्टाम्प/चालान /मनीऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट/डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर** के द्वारा जो **सहायक प्रबंधक, छत्तीसगढ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, रायपुर (Assistant Manager, CSPHCL, Raipur)** के नाम से देय हो, प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतएव आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान नियम अनुरूप नही किये जाने के फलस्वरूप, उनके आवेदन को नियमानुसार स्वीकार किया जाना संभव नही था।

(5) उपरोक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 09.11.2016 को प्रतिअपीलार्थी श्री व्ही. आर. मौर्या जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो तथा श्री पंकज सिंह परमार, सहायक जनसूचना अधिकारी सह सहायक प्रबंधक (मा.सं) उपस्थित एंव अपीलार्थी श्री नंदकुमार टोण्डे अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् अपील प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

उक्त तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट वह कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप ग्राहय हो।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी श्री टोण्डे द्वारा आवेदन दिनांक 28.06.2016 में निहित वांछित जानकारी हेतु नियमानुसार आवेदन पंजीयन शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से देय नही किया गया है, फलस्वरूप उक्त आवेदन को अस्वीकार करते हुए नियमानुसार आवेदन पत्र अपीलार्थी को मूलतः वापस किया गया है, जो उचित परिलक्षित होता है, जो स्वीकार योग्य है।

अतएव प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही कर अधिनियम में निहित तथ्यों के अंतर्गत अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करायी गयी है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उनके आवेदन में वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है, जो निराधार एवं तथ्यहीन है।

यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी श्री नंदकुमार टोण्डे पूर्व मौखिक सूचना प्राप्त होने के पश्चात् भी नियत सुनवाई तिथि में अनुपस्थित रहे। जैसा कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन दिनांक 28.06.2016 में वांछित जानकारी हेतु आवेदन पंजीयन शुल्क रूपये 10/–मात्र का भुगतान लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम से देय नही किया गया है एंव जानकारी प्राप्त किये बगैर ही प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है। अतएव संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिंदुवार जानकारी जिसमें **प्रश्न समाहित** है जिसके तारतम्य में यह भी अवगत कराया जाना आवश्यक होगा कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन संख्या 1/7/2009–आई.आर दिनांक 01.06.2009 के अनुसार **"The definition of information cannot include within its fold answers to the question "why" which would be same thing as asking the reason for a justification for a particular thing. The public information authorities cannot expect to communicate to the citizen the reason why a certain thing was done or not done in the sense of a justification because the citizen makes a requisition about information. Justifications are matter within the domain of adjudicating authorities and cannot properly be classified as information."** (परिपत्र संलग्न है)

जहॉ तक अपीलार्थी के अपील का प्रश्न है पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपील प्रकरण क्रमांक 13/2016 दिनांक 14.10.2016 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –13/2016/ 66 रायपुर, दिनांक 09/11/2016

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री नंदकुमार टोण्डे, अधिवक्ता, प्रजापिता ब्रम्हकुमारी के पीछे, उस्लापुर, बिलासपुर, छ0ग0, को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निर्धारित पंजीयन शुल्क सहित निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040